

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मिठूकर बनाम बट्टीलाल (वैरा)

किरम मुकदमा प्रा-पत्रा 111-126 नं. 44 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलन जज	नन्दर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तारीख ने जारी हुए
3-5-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 16.6.20 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
6-6-20	उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.8.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-8-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन आपतामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-पत्र किये गये। तस्वीर माण्डल से मॉका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-पत्र की गई। अन्वेषण की दिवकी मतेवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इसके विरुद्ध एक तरफ कामवादी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थिया की प्रश्नगत आराजी स्थित अविभाजित स्वातेदारी में ही प्रार्थिया पत्र केवल सह स्वातेदार हारा दिया गया है अविभाजित स्थित स्वातेदारी में प्रत्येक इन्वे अमि पर	

प्रति
हुकम

हुकम या कार्यवाही नये इतिरायत्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

सभी खातेदार का हिस्सा होता है अतः प्राणिया
के हक-हिस्से की धाराजी स्पष्ट नही होने की
स्थिति में चकोल प्राणिया का प्रापना पत्र अस्वीकार
किया जाता है।

पंजावली फॉर्मल नुमार होकर नम्बर से कम हो।

8

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा